न्यायालय उपजिला कलैक्टर,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– पवन कुमार (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः–116/2019

लालचन्द पुत्र श्री उमाराम आयु 65 वर्ष जाति मेघवाल निवासी चक 2 एमएसआर तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

–––प्रार्थी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

––––अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

::निर्णय:: **दिनांक–23.12.2020**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम से चक 2 एमएसआर तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–303/436 के किला नम्बर 1ता5, 7ता11 के 10 बीघा व चक 3 एमएसआर के मुरब्बा नं.–303/438 के किला नम्बर 4ता7,14,15,18 के 7 बीघा एवं इसी चक के मुरब्बा नम्बर 314/433 के किला नम्बर 21ता25 के 5 बीघा कुल 12 बीघा इस प्रकार दोनों मुरब्बाजात में कुल 22 बीघा कृषि भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में उक्त भूमि का स्थाई आवंटन सन् 1973–74 में किया गया और उसके बाद उक्त कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार भी वादी के नाम प्रदत कर दिये गये है। उक्त कृषि भूमि वादी की खातेदारी कृषि भूमि है। सेल रजिस्टर एवं जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है एवं आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध होते ही पेश कर दी जावेगी। वादी का सही वा वास्तविक नाम लालचन्द पुत्र उमाराम जाति मेघवाल है तथा वादी ने अपने सही नाम लालचन्द पुत्र उमाराम के नाम सेह ही आवंटन अधिकारी के समक्ष कृषि भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया था जिसके साथ प्रमाण पत्र सबूत पेश किये गये थे उसमें भी वादी का नामा लालचन्द पुत्र उमाराम है तथा आवंटन आधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन द्वारा जो नोटिस दिया गया है वह भी वादी के सही नाम लालचन्द के नाम से ही दिया गया है मगर आवंटन आदेश जारी करते समय आवंटन आदेश में वादी के सही नाम लालचन्द पुत्र उमाराम के स्थान पर सहवन से लालूराम पुत्र उमाराम दर्ज कर दिया गया है। तदनुसार इसी तरह खातेदारी सनद में भी वादी के नाम लालचन्द के स्थान पर लालूराम दर्ज कर खातेदारी सनद जारी कर दी गई है और उसके बाद राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी तैयार करते समय भी वादी का नाम लालचन्द के स्थान पर लालूराम खातेदार दर्ज कर दिया गया। वादी के सही नाम लालचन्द पुत्र उमाराम के नाम से समस्त सबूत संलग्न वाद पत्र है। आज से 10 दिन पूर्व वादी द्वारा अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि पर कृषि ऋण प्रयोजनार्थ उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य दस्तावेज प्राप्त करने के लिए पटवारी हल्का से सम्पर्क किया गया तो वादी को इस गलती के बारे में पता चला। जिस पर वादी ने उसी रोज तहसीलदार, अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित होकर आवंटन आदेश में गलत नाम को सही करके दुरूस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि सक्षम न्यायालय से दुरूस्ती के आदेश लेकर आओ तभी रिकॉर्ड दुरूस्ती सम्भव है। वादी का नाम उसकी कृषि भूमि के दस्तोवजात में गलत दर्ज होने के कारण वादी राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रकार की किसान हित में जारी योजनाओं से महरूम रहता है। अतः वादी का सही नाम लालचन्द दुरूस्त कर दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.03.04 12:36:31 IST
Reason: SelfAttested

उक्त अनवानी वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जरिये राज पैरोकार राज. जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में उपरोक्त वाद रिकॉर्ड आधारित होना स्वीकार किया तथा उक्त वाद अनुतोष से सम्बन्धित होना स्वीकार किया।

Scanned with CamScanner

प्रकरण का निस्तारण करने हेतु तनकियात कायम की गई जो इस प्रकार है –

1. आया वादी वाद पत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित कृषि भूमि के आवंटन आदेश व रिकॉर्ड राजस्व में वादी लालूराम पुत्र उमाराम के स्थान पर लालचन्द पुत्र उमाराम दुरूस्त करवाने का अधिकारी है?

––वादी

अनुतोष–

वादी ने अपने हिस्से की तनकी संख्या 1 को साबित करने के लिये पीडब्ल्यू–1 एवं पीडब्ल्यू–2 अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के तहत स्वयं एवं पड़ौसी के शपथ पत्र पेश किये। पेरोकार राज द्वारा जिरह की गई। अपने दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श–1 स्थाई आंवटन का विवरण की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–2 ग्राम पंचायत सरपंच की रिपोर्ट, प्रदर्श–3ए राशनकार्ड की प्रति, प्रदर्श–4ए बैंक पासबुक की प्रति, प्रदर्श–5ए आधार कार्ड की प्रति, प्रदर्श–6ए भामाशाह की प्रति, प्रदर्श–7 जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश कर प्रदर्शित करवाये व अन्य साक्ष्य पेश नही करना चाहा। जिस पर साक्ष्य वादी समाप्त की गई। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर पत्रावली वास्ते बहस मुर्कर की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में दर्ज तथ्यों एवं सलंग्न दस्तावेजात का गहनता से मनन किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा पेश किये गये साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात व रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायलय की राय में वादी अपने साक्ष्यों से यह साबित करने में सफल रहा है कि वादी का नाम लालूराम न होकर लालचन्द है। अतः वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में वादी का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 2 एमएसआर तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–303/436 के किला नम्बर 1ता5, 7ता11 के 10 बीघा व इसी चक के मुरब्बा नं.–303/438 के किला नम्बर 4ता7,14,15,18 के 7 बीघा एवं चक 3 एमएसआर के मुरब्बा नम्बर 314/433 के किला नम्बर 21ता25 के 5 बीघा कुल 12 बीघा इस प्रकार दोनों मुरब्बाजात में कुल 22 बीघा कृषि भूमि में वादी का नाम लालूराम पुत्र उमाराम के स्थान पर लालचन्द पुत्र उमाराम का अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.03.04 12:36:31 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

Scanned with CamScanner